

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08 / 2021 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल
एफबीओ मैसर्स:—सुरेश कुमार, महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा ।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

–: आदेश :–

दिनांक:– 15.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.11.2020 को सायंकाल 04:30 बजे मैसर्स:— सुरेश कुमार महेश कुमार, माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक बैग में करीबन 7 किग्रा मिर्च पाउडर(लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2 किलोग्राम मिर्च पाउडर (लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ, सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तोलकर दिया। जिनकी कीमत 400 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा मिर्च पाउडर (लूज) को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-2487 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर



डिब्बों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 5.11.2020 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राजस्थान जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.11.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.11.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1794/एक्ट/2010/1770 दिनांक 13.11.2020 के अनुसार अनसेफ व नियम 2.3.14(15) एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। आरएफएल मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(40F)/2021 दिनांक 11.02.2021 के अनुसार भी नियम 2.3.14(15) एफएसएस (Prohibition and restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1794/एक्ट/2010/1770 दिनांक 13.11.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस (Prohibition and restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। आरएफएल मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(40F)/2021 दिनांक 11.02.2021 के अनुसार भी नियम 2.3.14(15) एफएसएस (Prohibition and restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(V) का उल्लंघन किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 58 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारी फर्म सुरेश कुमार, महेश कुमार बांदीकुई का सैम्पल शुद्ध पाया गया है। जिस मिर्च पाउडर का सैम्पल लिया गया है वह किसी के लिये पिसवाया गया था जो दुकान पर रखा हुआ था। उसी में से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल ले लिया गया था। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर माफ किये जाने का निवेदन किया गया।



हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1794/एक्ट/2010/1770 दिनांक 13.11.2020 एवं आरएफएल मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/ FSSA(40F)/2021 दिनांक 11.02.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना अनसेफ व नियम 2.3.14(15) के अनुसार एफएसएस (Prohibition and restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस के अनुसार भी अप्रार्थी द्वारा खुला मसाला पिसवाया जाकर विक्रय किया जाना प्रतीत होता है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अनसेफ खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय किये जाने से नियम 2.3.14(15) एफएसएस (Prohibition and restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल एफबीओ मैसर्स:- सुरेश कुमार, महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा पर 10000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 15.02.2023 के एक माह के अन्दर-अन्दर निर्धारित मद् में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांक / FSSA/

दिनांक:- .02.2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल एफबीओ मैसर्स:- सुरेश कुमार, महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा